राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

2271-80

क्रमांकः–एफ 1(1)(1) आप्रसआ/सामान्य/अनु.सहा./2010/ जयपुर, दिनांक 23.2.11

जिला कलेक्टर,
बांसवाड़ा व डूंगरपुर ।

विषयः– अभाव संवत 2067 में अकाल प्रभावित क्षेत्रों में अनुग्रह सहायता उपलब्ध कराने बाबत् दिशा निर्देश ।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा अभाव संबंधी जारी अधिसूचना दिनांक 15.01.2011 के अनुरूप में राज्य के अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों में दिनांक 20.01.2011 से असहाय व्यक्तियों को अनुग्रह सहायता स्वीकृत करने हेतु संबंधित जिला कलेक्टर्स को अधिकृत किया जाता है । इस हेतु निम्न दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए ।

1. अनुग्रह सहायता अभाव अवधि में 60 दिवस के लिए देय होगी ।
2. अनुग्रह सहायता के पात्र व्यक्तियों को प्रतिदिन प्रति वयस्क व्यक्ति 20/– एवं प्रति बच्चे को 15/– रुपये की दर से भुगतान किया जायेगा ।
3. हर ग्राम स्तर पर असहाय सहायता के पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार की जाए । उक्त सूची को ग्रामसभा में प्रस्तुत कर असहाय सहायता के पात्र व्यक्तियों का चयन ग्रामसभा में कराया जाये । सूची में अपात्र व्यक्तियों का चयन नहीं हो इसको सुनिश्चित किया जाये । यदि पात्र व्यक्ति चयनित होने से वंचित रह गया है, तो ग्रामसभा द्वारा उसे जोड़ा जा सकता है । ग्राम सभा के अनुमोदन पश्चात यह सूची रजिस्टर में संधारित की जाए व रजिस्टर में सरपंच, पटवारी, ग्रामसेवक एवं जहां तक सम्भव हो वार्ड पंच एवं ग्राम के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी कराये जाऐं । चयनित लाभार्थियों की सूची को नोटिस बोर्ड पर चस्पा भी कराया जाए । ग्राम सभा में असहाय सहायता के रूप में दी जाने वाली नकद राशि की जानकारी सभी को दी जाए ।
4. अनुग्रह सहायता जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की जाए तथा इस क्रम में प्राप्त शिकायतों का दर्ज करते हुए उनका निस्तारण जिला कलेक्टर के स्तर पर किया जाए ।
5. अनुग्रह सहायता के लाभार्थियों की पात्रता निम्नानुसार रहेगीः–
   - (क) ऐसे असहाय, वृद्ध, कमजोर, अपाहिज व्यक्ति; अनाथ/अवयस्क बच्चे; गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति एवं एकल महिला, जो कार्य करने योग्य नहीं हो एवं जो स्वयं की आजीविका अर्जित करने में सक्षम नहीं हो, तथा किसी भी प्रकार की पेंशन अथवा अन्य सरकारी सहायता उन्हें प्राप्त नहीं हो ।
   - (ख) गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की ऐसी गर्भवती महिला, जो राहत कार्यों पर कार्य करने में सक्षम नहीं है, तथा जिसकी आमदनी का कोई जर्या नहीं है ।

(ग) किसी भी योजना में पेंशन पाने वाला तथा किसी भी अन्य योजना में सहायता प्राप्त करने वाला व्यक्ति, अनुग्रह सहायता मद से सहायता पाने का अधिकारी नहीं होगा ।

6. चयनित व्यक्तियों को असहाय सहायता हर पखवाड़े में नकद रूप में एक साथ ग्राम में एकत्रित कर प्रतिष्ठित जनों के समक्ष वितरति की जाए ।
7. इस राहत गतिविधि पर नकद व्यय राहत मद से देय होगा । इस मद में होने वाले व्यय का मानचित्र माह की 10 तारीख तक आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को भिजवाया जाए ।
8. अनुग्रह सहायता, नगरपालिका/परिषद/निगम क्षेत्रों के व्यक्तियों को स्वीकृत नहीं की जाए ।
9. अनुग्रह सहायता राशि का आवंटन पटवारी एवं ग्राम सेवक में से किसी भी एक कर्मचारी द्वारा किया जा सकेगा ।

उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त आपदा प्रबन्धन एवं सहायता निर्देशिका के अनुच्छेद 10 में व सूखा प्रबन्धन संहिता में दिये गये प्रावधानों के अनुसार अनुग्रह सहायता का वितरण सुनिश्चित किया जाए ।

भवदीय,

2/2/11

शासन सचिव

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमन्त्री महोदय राज., जयपुर ।
2. विशिष्ठ सहायक, मन्त्री आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज., जयपुर ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज., जयपुर ।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) राज. जयपुर ।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर ।
6. सम्भागीय आयुक्त उदयपुर, राज. ।
7. मुख्य लेखाधिकारी, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, जयपुर ।
8. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर ।

शासन उप सचिव